न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल

प्रकरण कमांक /निगरानी/2015 निग - 4076 - II - 15

सुनील कुमार आ. श्री श्यामलाल आयु वयस्क
निवासी सेक्टर 10, मकान नंबर 31 द्वारका नई
दिल्ली कृषक ग्राम बैरागढ़ खुमान तहसील
श्यामपुर जिला सीहोर म0प्र0 .....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

01. प्रदीप आ. श्री अर्जुन सिह आयु वयस्क
निवासी ग्राम बैरागढ़ खुमान तहसील श्यामपुर
जिला सीहोर म0प्र0
02. म0प्र0 शासन .....रेस्पाण्डेंट

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 10/09/2015 प्रकरण कमांक 17/अ-12/14-15 पारित द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय श्यामपुर जिला सीहोर द्वारा पारित किया गया।

प्रकरण जो आहुत किये जाने हैः-

01. प्रकरण कमांक 17/अ-12/14-15 पारित द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय श्यामपुर दिनांक 10/09/2015

श्रीमान् जी,

निगरानीकर्ता माननीय अधीनस्थ तहसीलदार महोदय, के न्यायालय द्वारा पारित आदेश से परिवेदित एवं दुखी होकर निम्नांकित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत करता हैः-

प्रकरण के तथ्य

01. यह कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्यामपुर द्वारा बगैर विधिक प्रकिया के पालन किए विधि विरूद्ध तरीके से प्रकरण मन माफिक अवैधानिक प्रकिया अपनाते हुये पंजीबद्ध कर रेस्पाण्डेंट कमांक 01 प्रदीप कुमार आ. श्री अर्जुन सिंह के आवेदन नहीं करने पर भी अवैधानिक रूप से पंजीबद्ध किया गया एंव म.प्र.भू.रा.सं. 1959 की धारा 129 के विरूद्ध जाकर भूमि सर्वे कमाक 450/5 रकबा 1.216 हेक्टेयर लगानी 1.80 रूपये का बताते हुये अवैधानिक सीमांकन किया गया एंव निगरानीकर्ता को सूचना एंव सूनवाई का अवसर प्रदान किए बगैर निगरानीकर्ता के कब्जे में मिथ्या रूप से सर्वे कमांक 450/5 के 0.243 हेक्टेयर भू-भाग पर अवैधानिक कब्जा बताया गया जिससे परिवेदित एंव दुखी होकर अधीनस्थ न्यायालय के सीमांकन को चुनोती दी जाती हैः-

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 4076/II/15 जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2.2.16	मैंने प्रकरण में निगराकार के विद्वान अधिवक्ता के ग्राह्यता पर तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का परिशीलन किया। तर्क में कहा गया कि तहसील के प्रकरण की प्रथम आदेश पत्रिका में, उस पेशी की दिनांक तथा अगली पेशी की दिनांक नहीं लिखी है, सूचनापत्र में तीन ख.नं. लिखे हैं जबकि प्रथम आदेश पत्रिका में एक ही ख.नं. लिखा है, तथा सूचनापत्र, पंचनामा और प्रतिवेदन में कहीं दिव्यज्योति संस्थान तो कहीं सुनील लिखा है। इन आधारों पर उन्होंने निगरानी ग्राह्य किए जाने का निवेदन किया। उपलब्ध अभिलेखों की प्रतियों के परिशीलन से मैं तर्क के उपरोक्त बिन्दु सही पाता हूँ। साथ ही यह भी पाता हूँ कि ना तो सुनील (निगराकार) और ना ही दिव्यज्योति संस्थान को सूचना पत्र तामील हुआ है। मैं यह भी पाता हूँ कि सूचनापत्र में दिव्यज्योति संस्थान का नाम लिखा है, पंचनामे	

[कृ. प. उ.

2 R-4076-II/15 सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	में दिव्यज्योति संस्थान के पास से ऊपर उठाकर छोटे अक्षरों में सुनील का नाम लिख दिया गया है और प्रतिवेदन में केवल सुनील का नाम है संस्थान का नहीं। ऐसे में सुनील एवं दिव्यज्योति संस्थान के बीच यदि कोई संबंध है तो वह क्या है यह कहीं स्पष्ट नहीं किया गया है। सुनील या संस्थान के नाम उनके सरहदी कृषक होने की वजह से सूचनापत्र में शामिल हुए हैं या किस कारण से, यह कैसे स्पष्ट एवं निर्धारित हुआ प्रकरण में स्पष्ट नहीं किया गया है। पंचनामे में दिव्य ज्योति संस्था के प्रतिनिधि शर्मा जी की उपस्थिति का उल्लेख है, निगराकार सुनील की उपस्थिति का नहीं। ऐसे में, जबकि प्रतिवेदन में सुनील का अवैध कब्जा होना लिख दिया गया है, तो भी सूचनापत्र या पंचनामे के माध्यम से सुनील को पक्षसमर्थन का अवसर मिला हो, यह कहीं स्पष्ट नहीं है। ना ही सुनील एवं संस्था के मध्य यदि कोई संबंध है तो स्पष्ट किया गया है। ना ही उन्हें सरहदी कृषक होना किस आधार पर लिखा गया है, यह स्पष्ट किया गया है। उपरोक्त बिन्दुओं एवं विवेचना के	

3

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 4076-II/15 जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-2-16	प्रकाश में तहसीलदार का आक्षेपित आदेश दि. 10-9-15 लापरवाही एवं त्रुटियों से युक्त होने के कारण स्थिर रखे जाने योग्य नही पाता हूँ एवं निरस्त करता हूँ। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त। दा. द. हो। (सदस्य)	

[कृ. प. उ.